



दिनांक: 19-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 04 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नानौता के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा 04 वारण्टी 1.अमर सिंह पुत्र भागमल नि0 ग्राम ठसका थाना नानौता जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 1550/22 अ0स0 78/11 धारा 60(2) आब0 अधि0 2. रोहताश पुत्र सूरत नि0 ग्राम चमन माजरा थाना नानौता जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 876/19 धारा 60/62 आब0 अधि0 3.सुमित पुत्र नरेशपाल निवासी ग्राम भैंसराऊ थाना नानौता जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 1460/22 अ0स0 135/17 धारा 147/452/323/504/506/325 भादवि 4.नितिन पुत्र महीपाल निवासी ग्राम भैंसराऊ थाना नानौता जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 4293/23 धारा 147/323/504/506 भादवि को आज दिनांक 19.02.2024 को उनके मसकनों से गिरफ्तार किया गया। वारंटियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अमर सिंह पुत्र भागमल नि0 ग्राम ठसका थाना नानौता जिला सहारनपुर
2. रोहताश पुत्र सूरत नि0 ग्राम चमन माजरा थाना नानौता जिला सहारनपुर
3. सुमित पुत्र नरेशपाल निवासी ग्राम भैंसराऊ थाना नानौता जिला सहारनपुर
4. नितिन पुत्र महीपाल निवासी ग्राम भैंसराऊ थाना नानौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ0नि0 राहुल देशवाल थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1047 सतीश थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 729 उपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 19-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई मोटर

साइकिल बरामदा

अवगत कराना है कि दिनांक 16/02/2024 को वादी राजू पुत्र श्री नानकचन्द निवासी 361 रामपुरी जिला मुजफ्फरनगर ने थाना देवबन्द पर आकर लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल हीरो स्पलैन्डर प्लस सिविल कोर्ट देवबन्द से चोरी कर ली गयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 69/24 धारा 379 भा.द.वि बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त इस्लाम पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला पठानपुरा थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को रेलवे स्टेशन के पास से चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इस्लाम पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला पठानपुरा थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

बरामदगी का विवरण:-

01 मोटर साइकिल हीरो स्पलैन्डर प्लस UP 12 AJ 1545 रंग काला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 रकम सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- का0 2358 तरुण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 19.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गया गैस
सिलेण्डर, बैट्टा व 2800/- रुपये नगद बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 18.02.2024 को वादी रोहित पुत्र सुभाष निवासी यशविहार कालोनी रजवाह पटरी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 38/24 धारा 380 आईपीसी पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु जनपद में चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **अंकित पुत्र नेकीराम पुत्र निवासी ग्राम कपासा थाना नागल जनपद सहारनपुर** को पशु पैठ मानकमऊ के पास से चोरी किये गये सामान गैस सिलेण्डर, बैट्टा व 2800/- रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 17.02.24 को यशविहार कालौनी मानकमऊ से मैंने एक घर से बैट्टा, सिलेण्डर, एक चांदी व एक सोने की अंगुठी, घडी, एक चांदी का गले का सैट और फ्रीज पर रखे 700 रु0 भी चोरी किये थे। चांदी व एक सोने की अंगुठी, घडी, एक चांदी का गले का सैट को मैंने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया तथा जो पैसे मुझे सामान बेचकर मिले थे वह कुछ तो मैंने खाने पीने में खर्च कर दिये और जो पैसे मेरे पास से बरामद हुये हैं यह उसी सामान को बेचे हुए पैसे हैं तथा आज सिलेण्डर व बैट्टे को भी बेचने के लिये खडा था कि पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अंकित पुत्र नेकीराम पुत्र निवासी ग्राम कपासा थाना नागल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- बैट्टा अमेज कम्पनी
- 01 गैस सिलेण्डर
- 2800 रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 559 सन्नी राणा, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 639 मुकेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 19.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहर्ता को किया गया सुकशल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.02.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 72/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अपहर्ता की सकुशल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त गौरव पुत्र जोगिन्द्र नि0 बीबीपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर** को रेलवे रोड सनव्वर अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव पुत्र जोगिन्द्र नि0 बीबीपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. म0उ0नि0 मनवीरी सिंह थाना देवबंद सहारनपुर।
2. का0 1492 कपिल राणा थाना देवबंद सहारनपुर।
3. है0का0 254 भूपेन्द्र सिंह थाना देवबंद जिला सहारनपुर।



दिनांक: 19.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नावेन्द्र सिंह सिरोही के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.02.2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त राहुल पुत्र राजकुमार नि० मो० होली चौक ग्राम लखनोती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित मु०अ०सं०-70/20 धारा 8/21 एनडीपीएस चालानी थाना गंगोह, मा० न्यायालय ए०डी०जे० कोर्ट-प्रथम, सहारनपुर नियत दिनांक 22.02.2024 में ग्राम लखनौती से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राहुल पुत्र राजकुमार नि० मो० होली चौक ग्राम लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री राजकुमार गौतम थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. का० 336 आमीन थाना गंगोह जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से कुकर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 18.02.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सुमित द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र के साथ कुकर्म करने की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 75/24 धारा 377 भादवि व 5(M) /6 पोक्सो एक्ट बनाम सुमित के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित **अभियुक्त सुमित पुत्र सन्नवर नि0 लालवाला रोड गांधी कालोनी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को देवबंद बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

सुमित पुत्र सन्नवर नि0 लालवाला रोड गांधी कालोनी थाना देवबंद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

3. उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1154 राहुल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा अपहरण के मामले में 15 साल से फरार चल रहे मु०अ०स० 69/2009 धारा 366 भादवि थाना बडगाँव से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त नरेश पुत्र चुरामन निवासी ग्राम श्यामपुर थाना फैजगंज बेहटा जिला बदायूं को जनपद बदायूं से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- नरेश उर्फ छंगा पुत्र चुरामन निवासी ग्राम श्यामपुर थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०स० – 69/2009 धारा – 366 भादवि थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ०नि० श्री रामप्रकाश पाण्डेय थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 269 भगत थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 19-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा व 01

जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान के 01 शातिर अभियुक्त **शाकिर पुत्र असगर निवासी मौ0 इन्द्रा कालौनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को कादरपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 54/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम शाकिर उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त शाकिर उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मैं पढा लिखा नहीं है रौब जमाने व लोगो को डराने धमकाने के लिए अपने पास तमन्चा रखता हूँ मैंने यह तमन्चा राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम पता नहीं जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाकिर पुत्र असगर निवासी मौ0 इन्द्रा कालौनी कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 538 प्रदीप हुड्डा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण :-

- 01 तमन्चा देशी 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाकिर :-

1. मु0अ0सं0 316/21 धारा 457/380/411 भादवि ----- बेहट
2. मु0अ0सं0 436/21 धारा 323/336/452/504/506 भादवि --- बेहट
3. मु00सं0 438/21 धारा 147/148/307/353 भादवि व 7 सीएल ए एक्ट ----- बेहट
4. मु0अ0सं0 50/22 धारा 380/511 भादवि ----- बेहट
5. मु0अ0सं0 130/22 धारा 380/411 भादवि ----- बेहट
6. मु0अ0सं0 177/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट----- बेहट
7. मु00सं0 85/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट----- बेहट
8. मु0अ0सं0 422/23 धारा 380/411/457 भादवि ----- बेहट



दिनांक: 19-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01

चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.02.24 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त मनीष उर्फ मोन्टी पुत्र महावीर सिंह नि0 ग्राम चत्रसाली थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को छोटी लाईन के रास्ता, सोफिया स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 74/024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मनीष उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि लोगों में अपना रौब जमाने व लोगो को डराने धमकाने के लिए अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मनीष उर्फ मोन्टी पुत्र महावीर सिंह नि0 ग्राम चत्रसाली थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 स्वेता शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. का0 947 शान्तनु थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 2329 अनिल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।